रजि० नं० बी ४४४८
लाअिसेन्स न० १५

ग्रामोद्योग और केन्द्रीय सरकार

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७ सम्पादक : मगनभाअी प्रभुदास देसाअी अंक २८

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १२ सितम्बर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशम रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

विधायक दृष्टि

"हमें बेकारीके संबंधमें हमेशा बातें करते रहनेके बजाय अिस महत्त्वपूर्ण समस्या पर रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हमें अधिकसे अधिक लोगोंको रोजगार प्रदान करनेके अुपायों पर विचार करना चाहिये। हमारा असली अुद्देश्य तो देशके करोड़ों निवासियोंको सौ फी सदी काम देना होना चाहिये। किन्तु बेशक, यह किसी जादूसे नहीं हो सकता।

"मैं बेकारोंको 'डोल' (निर्वाह-खर्च) देनेमें विश्वास नहीं करता। यह अेक बिलकुल गलत नीति है। हमें 'डोल'के बजाय काम देनेकी योजना बनानी चाहिये। लोगोंको कोअी अुत्पादक कार्य दिया जाना चाहिये। हमें अपनी जरूरतकी चीजें बाहरसे मंगवानेके बजाय खुद पैदा करनी चाहिये, चाहे अुनका दाम बाहरसे मंगाअी हुअी चीजोंसे अधिक ही क्यों न हो। हमें अपने लोगोंको काम-धंधेसे लगाये रखना चाहिये, चाहे फिलहाल हम अुन्हें शारीरिक काम ही करनेको दें। अगर शिक्षित नौजवान शारीरिक कार्य करना स्वीकार न करें, तो अुन्हें रोजगार प्रदान करनेकी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है।

"हमें अपने छोटे पैमानेके और कुटीर-अुद्योगोंको प्रोत्साहन देना चाहिये, भले अुनसे बनी हुअी चीजें फिलहाल अधिक महंगी और भद्दी हों। महत्त्वकी बात यह है कि हमें अधिक दौलत पैदा करनी चाहिये और क्रयशक्तिका लोगोंमें समुचित वितरण करना चाहिये। यह सिर्फ बड़े पैमानेके अुद्योगोंके जरिये नहीं किया जा सकता। सबसे अधिक महत्त्व हमें मानवीय पहलूको देना चाहिये। हमारे लोगोंको अपने रोजके आर्थिक जीवनमें स्वाश्रयका भाव अनुभव करना चाहिये। अन्य देशोंके तरीकोंकी नकलसे हमें कोअी बहुत मदद नहीं मिलेगी। हमारी समस्याओंका हल हमारी अपनी हालतों पर निर्भर होना चाहिये।"

जवाहरलाल नेहरू

[१ सितम्बर, १९५३ के 'अिकानॉमिक रीव्यू' से]

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

दो साल पहले श्री विनोबाको भूदान-यज्ञकी जो क्रान्तिकारी कल्पना सूझी, अुसका अुदात्त सन्देश आज भारतके गांव-गांवमें पहुंच गया है। अितना ही नहीं, अिस आन्दोलनने भारतके बाहरके लोगोंका ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। राज्यके हस्तक्षेप या कानूनकी मददके बिना श्री विनोबाने शांतिपूर्ण ढंगसे भारतकी सबसे बड़ी जमीनकी समस्या हल करनेके लिअे जो अहिंसक भूदान-आन्दोलन चलाया है, अुसकी भूमिका, आरंभ और क्रमिक विकासका पूरा चित्र श्री विनोबाके ही शब्दोंमें पाठकोंको अिस छोटीसी पुस्तकमें मिलेगा।

कीमत १–४–० डाकखर्च ०–६–०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद–९

शांतिमय क्रांतिकी चाबी

कोरियाका युद्ध, जो तीन सालसे चल रहा था, अब शांत हो गया है और वहां सुलह हो गयी है। अिस सुलहको मजबूत बनानेका काम अब करना होगा। बहुत खुशी होती है कि अेक दफा अिस दुष्ट युद्धका अंत तो हुआ।

कुदरतके कानूनके खिलाफ युद्ध

आजकलके युद्धोंमें अेक बड़ी खतरनाक बात होती है। कुदरतका जो वैज्ञानिक कानून माना जाता है, अुसीके खिलाफ ये युद्ध होते हैं। कुदरतका कानून है, 'सर्वाअिव्हल ऑफ दि फिटेस्ट' लेकिन अिन हिंसात्मक युद्धोंमें, जो आजकल वैज्ञानिक ढंगसे चलाये जाते हैं, बड़े पैमाने पर जवानोंकी आहुति दी जाती है। जो 'फिटेस्ट' होते हैं, अुनकी आहुति दी जाती है; और 'अनफिटेस्ट' होते हैं, वे घर बैठते हैं और बच जाते हैं। तो सृष्टिके कानूनके विरुद्ध यह बात होती है। ये युद्ध सब तरफसे अत्यंत विनाशक होते हैं। फिर भी ये होते ही रहते हैं। अतः अिनके कारणोंका संशोधन होना चाहिये। कारण स्पष्ट हैं।

स्थिति-स्थापकता और हिंसा

समाजमें जो भी रचना होती है, वह समाजको सुखी और स्वस्थ रखनेके खयालसे होती है और समाजको अुससे कुछ लाभ भी होता है। लेकिन कुछ बरसोंके बाद अुसके लाभ मिट जाते हैं और जैसे पुराने मकानके गिरनेके बाद नया मकान बनाते हैं, वैसे ही समाजकी रचना भी बदलनी पड़ती है। जहां समाज-रचना बदलनेकी बात आती है, वहां मानवको कुछ क्लेश होता है। जो क्लेश सहन नहीं करना चाहते, वे स्थिति-स्थापक कहलाते हैं, 'स्टेटस्को' के हामी बन जाते हैं। सुधार बहुत धीरे-धीरे करते हैं और जहां तक बने समाजका ढांचा कायम रखना चाहते हैं। अिस तरह शांतिवादी लोग पुराणवादी हो जाते हैं। 'पुराण' को कायम रखोगे, तो बिना कतल किये समाज नहीं बदल सकता। अैसे सोचनेवाले लोग फिर समाजको बदलनेके लिअे हिंसावादी हो जाते हैं। वे कहते हैं कि पुराना रूप कायम रखोगे तो क्रांति नहीं होगी। सुधार चाहते हो तो हिंसाका आश्रय लेना होगा। अैसे दो पक्ष पड़ जाते हैं।

शांतिमय क्रान्तिवाद : सत्याग्रह

जहां शान्तिवादी लोग आगे बढ़ते हैं, वहां स्थिति-स्थापकतामें विश्वास रखना होता है। और जहां क्रान्तिवादी लोग आते हैं, वहां हिंसामें विश्वास रखना होता है। अिस तरह क्रान्तिवादका संबंध हिंसासे जुड़ गया। लेकिन अब हमें नया तरीका और नया विचार मिला है, जहां हम क्रान्ति और शान्ति, दोनोंसे समाजको बदलना चाहते हैं। समाजका ढांचा बदलना चाहते हैं।

www.vinoba.in

समाजका पूरा परिवर्तन चाहते हैं और शांति भी चाहते हैं तथा क्रान्ति भी चाहते हैं। क्रान्तिके बिना काम नहीं होगा। जब हम शांति चाहते हैं, तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि शांतिमें अैसी ताकत है, जिससे समाजका ढांचा बदला जा सकता है। धीरे-धीरे नहीं, पर अिन्किलाबके तौर पर। अगर यह सिद्ध हो गया, तो क्रांतिवादके साथ हिंसा अनिवार्य नहीं होगी और समाज बच जावेगा। अुसे हम शांतिमय क्रान्तिवाद अर्थात् 'सत्याग्रह' कहते हैं।

श्रद्धा, निष्ठा व तपस्याका समन्वय

हम सर्वोदयवाले, जनहित चाहनेवाले, सत्याग्रहका आधार लेते हैं और अुससे समाजको मजबूत बनाना चाहते हैं। अुसके लिअे सत्याग्रहके विचार पर बहुत श्रद्धा होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि अुसके वास्ते दुःख सहन करनेकी तैयारी होनी चाहिये। जितना भी त्याग और दुःख भोगना पड़े, अुसको सहन करनेकी ताकत हममें होनी चाहिये। दुःख सहन करनेकी तैयारी और विचारकी निष्ठा, ये दो बातें, और तीसरी बात चाहिये हृदय-परिवर्तन करनेकी हिम्मत। मनुष्यका हृदय-परिवर्तन हम कर सकते हैं। अुसके हृदयमें ज्योति होती है। अूपरसे अंधकारका आवरण छा जाता है, पर अंदरकी ज्योति कभी बुझती नहीं। अुसके चैतन्य पर हमारा विश्वास होना चाहिये। अेक श्रद्धा, दूसरी तपस्या और तीसरी निष्ठा। हृदयस्थ अीश्वर पर श्रद्धा, विचार पर निष्ठा और तपस्याकी तैयारी, ये तीन वस्तुअें जहां होती हैं, वहां हम समाजमें शांतिमय क्रान्ति ला सकते हैं।

अिसके लिअे समाजके जरूरी मसले हाथमें लेने चाहिये, अुसके प्रयोग सामाजिक तौर पर करने चाहिये और अंतःशुद्धि व आंतरिक कार्य अुसके साथ-साथ करने चाहिये।

भूदानका जो काम हमने अुठाया है, अुससे हम जीवननिष्ठा और सत्याग्रहकी ताकतको बढ़ाना चाहते हैं और अुसके साथ-साथ शांतिकी शक्ति भी प्रगट करना चाहते हैं। अिस दृष्टिसे अगर आप अिस तरफ देखेंगे, तो अेक सुन्दरता आपको दिखायी देगी।

कार्यकर्ताओंके संबंध : माता-पुत्र जैसे

लोग कहते हैं कि यह काम कानूनसे हो सकता है। हम अुन्हें कहते हैं, "करो भाअी। हम तो किसीको रोकते नहीं।" पर हमें तो मजा आता है जनशक्ति बढ़ानेमें। हमारी अिच्छा तो है कि अिसमें कम-से-कम समय लगे। हमारा विश्वास है कि यह काम होकर रहेगा और जल्द-से-जल्द होगा। अिस कामसे अैसे गुण हासिल होंगे और अैसी कुंजी हासिल होगी, जो पचास तालोंको लग सकती है। अुससे सारे मसले हल हो सकते हैं। जमीन कितनी मिली, कैसी मिली, अिसका हिसाब-किताब हम रखते हैं। लेकिन यह तो बाहरी हिसाब होता है। अिसके साथ-साथ हम यह भी कसौटी रखते हैं कि हमें कितने कार्यकर्ता मिले, जो मानवता पर विश्वास रखते हैं, विचार पर निष्ठा रखते हैं। अैसे सेवकोंको हम अेक बात बताते हैं कि आपको अपने साथियों पर आंतरिक श्रद्धा होनी चाहिये, जैसे मांका बच्चे पर विश्वास होता है। बच्चा कितने भी बुरे काम करे, तो भी वह कहती है कि वह अंदरसे अच्छा ही है। वैसी ही श्रद्धा हमें अपने साथियों और विरोधियोंके प्रति रखनी चाहिये। साथियोंकी बुराअी सुनें, तो अुस पर विश्वास नहीं करना चाहिये। पर यदि अुनका अच्छा काम सुनें, तो हमें फौरन अुस पर विश्वास कर लेना चाहिये। मनुष्यके हृदयमें परमेश्वर रहता है। अुसके द्वारा ही अच्छे काम होते हैं।

बुराअीके लिअे सबूत चाहिये

कानूनदां जानते हैं कि कानूनमें अेक बात है, चाहे दस गुनहगार छूट जायं, लेकिन अेक भी निर्दोषको सजा नहीं होनी चाहिये। जहां थोड़ा संशय है, वहां अुस संशयका लाभ मिलना चाहिये। संशयका लाभ अच्छाअीकी तरफ होना चाहिये, बुराअीकी तरफ नहीं। कानूनकी यह बात बहुत अच्छी है और वह मानवता पर आधारित है। मनुष्यके हृदयमें जो अच्छाअी होती है, अुसके लिअे कोअी सबूतकी जरूरत नहीं होती। बुराअीके लिअे सबूतकी जरूरत होती है। सबूत मिलेगा तो विश्वास करेंगे, अन्यथा सबूत न मिलने तक समझेंगे कि बुराअी नहीं है।

शांतिमय क्रान्तिकी चाबी

मानव पर यह परम श्रद्धा है। मानवमें यदि वास्तवमें बुराअी होती, तो अुसे बुराअी पर अिनाम मिलता, अच्छाअीके लिअे अिनाम नहीं मिलता। अगर मानवके हृदयमें बुराअी ही होती, तो बुराअीके लिअे सजा नहीं होती, बल्कि गुनहगारको बुलाया जाता और यदि साबित हो जाता कि अुसने अच्छा काम किया है, तो अुसे सजा देते और बुरा काम किया तो छोड़ देते। लेकिन कानून तो अच्छाअीको अिनाम देता है और बुराअीको सजा। अिसका मतलब है कि मानवके हृदयमें अच्छाअी है। यह श्रद्धा हम न खोयेंगे, तो समाजमें शांतिके तौर पर क्रान्ति ला सकते हैं।

यह बुनियादी विचार है और अैसी श्रद्धा हममें हो, तो हम यह भूदान-यज्ञ सफल कर सकते हैं।

विनोबा

संविधानकी ४७ वीं धारा

सम्पादक, हरिजन

संविधानकी ४७ वीं धाराके अुत्तर अंशका मूल अंग्रेजी पाठ और अुसके प्रमाणित संस्कृत और हिन्दी अनुवाद नीचे दिये जा रहे हैं:

अंग्रेजी पाठ : ". . . in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

संस्कृत अनुवाद: "विशेषतः राज्यं मादकानां पेयानां स्वास्थ्य-हानिकराणां च औषधानां, अन्यत्र भैषज्यप्रयोजनेभ्यः, अुपभोगस्य प्रतिषेधाय प्रयतेत।"

हिन्दी अनुवाद: "राज्य . . . विशेषतया, स्वास्थ्यके लिअे हानिकर मादक पेयों और औषधियोंके औषधीय प्रयोजनोंसे अतिरिक्त अुपभोगका प्रतिषेध करनेका प्रयास करेगा।"

पढ़ने पर मालूम होगा कि मूल अंग्रेजी पाठ तथा अुसके संस्कृत अनुवादके अनुसार औषधीय प्रयोजनोंको छोड़कर सारे मादक पेयोंके अुपभोगका प्रतिषेध राज्यको करना है, भले वे हानिकर हों या न हों। लेकिन हिन्दी अनुवादके अनुसार केवल अुन्हीं मादक पेयोंके अुपभोगका प्रतिषेध करना है, जिन्हें स्वास्थ्यके लिअे हानिकर प्रमाणित किया जाय।

संविधान-सभा द्वारा पास किया हुआ भारतीय संविधान अंग्रेजीमें था, अिसलिअे जाहिर है कि संविधानका अंग्रेजी पाठ ही प्रमाणभूत माना जायगा।

अतः मेरी दृष्टिमें ४७ वीं धाराके अुपर्युक्त अंशका हिन्दी अनुवाद अशुद्ध है और अुसमें तत्काल सुधार होना जरूरी है।

मैं आशा करता हूं कि संविधानका अनुवाद भारतकी दूसरी मान्य भाषाओंमें करनेका काम जिन विद्वानोंको सौंपा गया है, वे हिन्दी अनुवादकों द्वारा की गयी गलती नहीं करेंगे।

नअी दिल्ली,
८ अगस्त, '५३
(अंग्रेजीसे)

फूलसिंहजी डाभी
सदस्य – भारतीय संसद्

www.vinoba.in

भारतसे बन्दरोंका निर्यात

संपादक, हरिजन

लन्दनका 'अेनिमल डिफेन्डर' (पशुओंका रक्षक) नामक पत्र, जो डाक्टरी चिकित्सासे संबंध रखनेवाली प्रयोगशालाओंमें पशुओंमें पर होनेवाले निर्दय किस्मके प्रयोग बन्द करवानेका प्रचार करता है, अपने गत जूनके अंकमें सम्पादकीय स्तम्भके अन्तर्गत कहता है:

"हमने अभी कुछ दिन हुअे भारतीय सरकारके हरअेक सदस्यको अेक प्रार्थना भेजी थी कि भारतसे अमेरिकाकी डाक्टरी चीर-फाड़का काम करनेवाली प्रयोगशालाओंके अुपयोगके लिअे बन्दरोंका जो निर्यात होता है, अुस पर वे ध्यान दें। अिन प्रयोगशालाओंमें बन्दरोंको तरह-तरहके कष्ट दिये जाते हैं और अन्तमें वे मर जाते हैं।

"अिस सूचना पर हमारे पास कअी लोगोंके अुत्तर आये हैं, और अुन्होंने हमारे साथ सहानुभूति प्रगट की है। डालर कमानेकी अिस घृणित पद्धतिका विरोध अुन्होंने सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रखा है। हमें सूचना मिली है कि गत १० अप्रैलको अिस विषय पर संसद्में अेक बिल भी पेश किया गया है और यह अुम्मीद है कि अगस्तमें जब संसद्का दूसरा अधिवेशन होगा, तब वह बिल दूसरे वाचनके लिअे सदस्योंके सम्मुख अुपस्थित होगा। डबलिनके 'अीव्हनिंग हेराल्ड' पत्रमें प्रकाशित अेक रिपोर्टके अनुसार अिस बुराअी पर कुछ चर्चा तो हो भी चुकी है। अिस रिपोर्टको हम नीचे अुद्धृत करते हैं:—

'भारतीय संसद्में बन्दरोंके विषयमें प्रश्नोत्तर:

'भारतसे निर्यात किये जानेवाले बन्दरोंके विषयमें चिन्तित भारतीय संसद्के कुछ सदस्यों और कृषि-मंत्री श्री पी० अेस० देशमुखके बीच आज संसद्में खासी झड़प हो गयी।

'कृषि-मंत्रीने कहा कि सरकार बन्दरोंका निर्यात खासकर अमेरिकाके लिअे करती है, जहां अुनका अुपयोग चिकित्सा-संबंधी शोध-कार्यमें होता है। जब अुन्होंने यह कहा कि बन्दरोंके अिस निर्यातका कारण यह है कि हम अुनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तब सदस्योंने काफी नाराजी जाहिर की। श्री देशमुखने बताया कि हमारी अन्नकी फसलका ५ प्रतिशत बन्दर प्रतिवर्ष नष्ट कर देते हैं। भारतमें बन्दरोंकी संख्या ५,००,००,००० है।

'सदस्योंने मंत्रीसे अनुरोध किया कि भारत अहिंसाका आदर्श मानता है और बन्दरको हिन्दुओंके पुराने धार्मिक साहित्यमें जो स्थान मिला है, अुसके कारण लोग अुसे पवित्र मानते हैं। अिसलिअे मंत्रीको अैसी व्यवस्था करना चाहिये कि बन्दरोंके साथ दयाका व्यवहार हो।'

"श्री देशमुखने कहा कि हमारे पास अैसी कोअी सत्ता नहीं है कि विदेशोंमें अपने बन्दरोंके साथ कैसा व्यवहार हो, अिसका नियंत्रण किया जा सके।

"श्री देशमुखके अिस कथन पर क्या पश्चिमका कोअी मानवतावादी अैसा जवाब नहीं दे सकता कि 'हां, तुम्हारे पास अैसा अधिकार तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अूपर यह नैतिक जिम्मेदारी जरूर है कि तुम अुन्हें भारतमें ही अिस तरह मार डालो कि अुन्हें कष्ट न हो और अिस प्रकार अुन्हें विदेशोंमें दिये जानेवाले निर्दय कष्टसे बचा लो।'"

पशुओंके प्रति दयाका व्यवहार किया जाय, अिस अुद्देश्यके लिअे काम करनेवाली भारतकी सारी संस्थाओंको चाहिये कि वे भारतीय बन्दरोंको विदेशोंमें होनेवाली निर्दयतासे बचायें।

५४, वुडहाअुस रोड,
कोलाबा, बम्बअी – ५

सोराबजी आर० मिस्त्री

[अूपर जिस बिलका जिक्र आया है, वह लोकसभामें पेश है। हम अुम्मीद करते हैं कि हमारी जनताके सारे वर्ग अुसका स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहां प्राणियोंके प्रति दयाकी व्यवस्था करनेवाला अेक अच्छा कानून बन जाय।

३-९-'५३ —म० प्र०]

(अंग्रेजीसे)

साबुनमें नीमके तेलका अुपयोग

नीमके झाड़ भारतभरमें बहुतायतसे मिलते हैं। मद्रास, अुत्तर प्रदेश और बम्बअीमें, कुछ जगहोंमें, थोड़ी मात्रामें नीमका तेल भी निकाला जाता है। नीमके तेलका कुछ हिस्सा जलानेके और कुछ दवाकी तरह काममें आता है; बाकी अधिकांश बम्बअी और कलकत्तामें साबुन बनानेमें खर्च होता है। साबुन बनानेमें मूंगफली या नारियल जैसे खाद्यतेलोंका अुपयोग करनेसे अेक तो खाद्य तेलके परिमाणमें कमी आती है, दूसरे, अुनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। अिसलिअे यह जरूरी है कि साबुन बनानेमें खाद्य तेलोंका अुपयोग न हो और अुनकी जगह नीम-तेल जैसे अखाद्य तेलोंका अुपयोग किया जाय। यह तो सभी जानते हैं कि नीमके पत्ते, छाल और फलोंका त्वचा पर बड़ा स्वास्थ्यप्रद असर होता है। अिसलिअे साबुनमें नीमके तेलका अुपयोग अिस दृष्टिसे भी जरूरी है।

नीमके कुल बीजका मामूली अंशमात्र ही तेलके लिअे पेरा जाता है, मद्रासमें २८%, अुड़ीसामें १०% और मध्यप्रदेशमें ११%। देशकी नीमके बीजोंकी अुपजका बाकी हिस्सा बेकार जाता है। अिसलिअे सड़कोंके दोनों ओर या जंगली क्षेत्रोंमें जो बीज बेकार पड़े रहते हैं, अुन्हें अिकट्ठा करना होगा। अिस तरह जो तेल तैयार होगा, वह साबुनके मौजूदा कारखानोंको या अिस योजनाके अनुसार खोले जानेवाले नये कारखानोंको दिया जायगा और अुसकी खली, जो अुत्तम खादका काम करती है, खेतीके अुपयोगमें आयेगी।

लोगोंको नीमके बीजोंके अिस अुपयोगकी शिक्षा देनेके लिअे निम्नलिखित जगहोंमें प्रदर्शन-केन्द्र खोले जायंगे; अिन केन्द्रोंमें नीमके बीज अिकट्ठे किये जायंगे और अुन्हें साफ करके अुनका तेल बनाया जायगा। फिर यह तेल साबुन-केन्द्रोंको भेजा जायगा, जहां अुसका अुपयोग साबुन बनानेमें किया जायगा:—

	केन्द्र	अेजेंसी
१.	शोलापुर	महाराष्ट्र सेवा संघ
२.	मेहमदाबाद (खेड़ा जिला)	डिस्ट्रिक्ट अिन्डस्ट्रियल अेसोसियेशन
३.	कोअिम्बतूर	——
४.	(निश्चित होना बाकी है)	

प्रत्येक अिकाअीमें अेक साबुन-केन्द्र रहेगा और अुसकी पूर्तिके लिअे ७ नीमका तेल बनानेवाले केन्द्र रहेंगे।

चारों केन्द्रों पर कुल ७ लाख रुपया खर्च होगा।

नीमका तेल बनानेकी अिस योजना पर किया जानेवाला यह सारा खर्च अूपर जिनके नाम आये हैं अिस तरहकी संस्थाओंको दी गयी सहायता और कर्जके रूपमें होगा। ये संस्थायें बोर्डकी बतायी हुअी रीतिसे केन्द्रोंका संघटन और संचालन करेंगी। सहायताकी रकम केन्द्र खोलनेके सिलसिलेमें होनेवाला प्रारंभिक खर्च पूरा करनेके लिअे और कर्जकी रकम यंत्र आदि जरूरी साधन तथा तेल खरीदनेके लिअे आवश्यक कार्यकारी पूंजी देनेके लिअे होगी।

[अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रकाशित बुलेटिनसे]

(अंग्रेजीसे)

www.vinoba.in

हरिजनसेवक

१२ सितम्बर १९५३

ग्रामोद्योग और केन्द्रीय सरकार

भारतीय संसद्के अेक सदस्यने मेरा ध्यान नीचे दिये जा रहे तारा-चिह्नित प्रश्न नं० १९७ की ओर खींचा है, जिसका अुत्तर संसद्में ६ अगस्त, १९५३ को दिया गया था:—

प्रश्न—*१९७ श्री डाभीः क्या वाणिज्य और अुद्योग-मंत्री अिन प्रश्नोंका अुत्तर देनेकी कृपा करेंगे—

(अ) क्या यह सच है कि योजना-कमीशनने पंचवर्षीय योजनामें अैसी नीति अख्तियार करनेकी सलाह दी है कि तेल-मिलें सिर्फ अखाद्य तेलोंका अुत्पादन करें, और खाद्य तेलका अुत्पादन गांवोंमें चलनेवाली घानियोंके लिअे सुरक्षित कर दिया जाय?

(आ) अगर अैसा हो, तो अिस नीति पर अमल करनेके लिअे सरकारने अब तक क्या क्या कदम अुठाये हैं या अुठानेवाली है?

अुत्तर—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:

(अ) योजना-कमीशनकी यह सिफारिश है कि "तेल-अुद्योगमें खाद्य तेलोंका अुत्पादन ग्रामोद्योगके जरिये और अखाद्य तेलोंका अुत्पादन तेल-मिलोंके जरिये करनेकी नीतिका अमल किया जा सकता है।"

(आ) सरकार अिस सिफारिश पर विचार कर रही है।

अुक्त मित्र आगे यह भी लिखते हैं कि अिस प्रश्न और अुत्तरके बाद श्री डाभीने कुछ पूरक प्रश्न किये थे, जिनका अुत्तर मंत्री महाशयने नीचे लिखे अनुसार दिया:—

प्रश्न—क्या यह सच है कि अभी कुछ दिन पूर्व अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने बंबअीमें हुअी अपनी अेक बैठकमें सरकारको यह सलाह दी है कि देशमें अुपलब्ध खाद्य तिलहनका अेक अंश गांवोंके तेल-अुद्योगके लिअे सुरक्षित कर दिया जाय और तिलका तिलहन तो पूरा-पूरा घानियोंके लिअे ही दे दिया जाय? क्या सरकारने अिस सिफारिशको स्वीकार कर लिया है?

अुत्तर—अिस तरहकी कोअी सिफारिश की तो गयी थी। अिन सब सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

प्रश्न—क्या यह सही है कि योजना-कमीशनने ग्रामीण तेल-अुद्योगके लाभके लिअे मिल-तेल पर मामूली-सा सेस लगानेकी सिफारिश की थी? अगर यह सच हो, तो अिस सिफारिश पर सरकार कब अमल करेगी?

अुत्तर—जहां तक योजना-कमीशनकी सिफारिशका ताल्लुक है, यह सच है। जैसा कि मैंने कहा, अिन सब बातों पर सरकार विचार कर रही है। अुन पर अुस रूपमें या किसी दूसरे रूपमें अमल किया जायगा या नहीं, यह तो सरकार जब निश्चय करेगी तब प्रगट होगा।

अुक्त मित्रने मुझे अुसी दिन हुअे अेक दूसरे प्रश्न (प्रश्न नं० १२२) और अुत्तरकी जानकारी भी दी है। यह प्रश्न सरकारकी हाथ-कागजकी खरीदीके विषयमें था। प्रश्न और अुत्तर नीचे दिये जा रहे हैं:—

प्रश्न—श्री डाभीः क्या निर्माण-कार्य और पूर्ति-विभागके मंत्री महाशय यह बतायेंगे—

(अ) कि विविध सरकारी महकमोंकी जरूरतोंके लिअे हाथ-कागज खरीदनेके विषयमें सरकारकी क्या नीति है?

(आ) विविध सरकारी महकमोंके अुपयोगके लिअे १९५१-५२ और १९५२-५३ के सालोंमें जो कागज खरीदा गया, अुसकी कुल कीमत क्या है?

(अि) और विविध महकमोंके लिअे खरीदे गये हाथ-कागजकी कुल कीमत क्या है?

अुत्तर—सरदार स्वर्णसिंह—

(अ) हाथ-कागजके विषयमें सरकारकी नीति यह है कि भारत-सरकारके सारे अर्ध-सरकारी कामोंके लिअे हाथ-कागज ही खरीदा जाय।

(आ) (१) १९५१-५२—लगभग ४½ करोड़ रुपया.
(२) १९५२-५३—लगभग ५ करोड़ रुपया

(अि) (१) १९५१-५२—९०,५०० रु०
(२) १९५२-५३—कुछ नहीं; क्योंकि पिछले सालका काफी कागज बचा हुआ पड़ा था।

अुपर्युक्त दो प्रश्न और सरकार द्वारा दिये गये अुनके अुत्तर अिस बातकी काफी प्रखर गवाही देते हैं कि केन्द्रीय सरकार ग्रामोद्योगोंको प्रोत्साहित और विकसित करनेकी अपनी जिम्मेदारीके विषयमें कितनी लापरवाह है। अुत्तरोंमें सरकारकी अुदासीनता तो स्पष्ट है ही, अुससे भी ज्यादा गंभीर बात श्री टी० टी० कृष्णमाचारीका यह कथन है कि योजना-कमीशनकी सिफारिशों पर सरकारने अभी तक कोअी निर्णय नहीं किया है। पंचवर्षीय योजना सरकारकी नीतिका अेक बड़ा हिस्सा है। अब तक पिछले कुछ सालोंमें सरकार और जनता दोनोंने ही अुस पर गहरा सोच-विचार किया है और अुसे राष्ट्रीय अर्थ-रचनाके पुनरुद्धारका अेक मुख्य आधार माना है। अुसमें जिन कार्यक्रमोंकी सिफारिश की गयी है, अुन पर अमल करना या न करना अिस या अुस मंत्रीके तत्सम्बन्धी विचारों या अिच्छाओं पर निर्भर नहीं है। अुक्त योजना समस्त राष्ट्रकी, केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों और सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। अिन अुत्तरोंसे सरकार द्वारा की गयी देरी या अुदासीनताका जो परिचय मिलता है, अुससे समझमें आ जाता है कि पंचवार्षिक योजनाके होते हुअे भी बेकारी क्यों है? हमारी परिस्थितियोंमें ग्रामोद्योग ही बेकारीको दूर करनेका सबसे बड़ा साधन हैं। योजना-कमीशनने अुसे पंचवर्षीय योजनामें कुछ स्थान दिया था। अगर, जैसा कि अूपर दिये गये प्रश्नोत्तरोंसे प्रगट है, अुसकी तत्सम्बन्धी सिफारिशों पर अमल नहीं हो रहा है, तो फिर अिसमें क्या आश्चर्य है कि योजना बेकारीको मिटानेके अपने प्रमुख और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अुद्देश्यमें असफल सिद्ध हो रही है? क्या हम आशा करें कि केन्द्रीय सरकार चेतेगी और अिस दिशामें अब तक अुसने जो देरी और अुदासीनता दिखायी है, अुसे सुधारकर अपनी मानी हुअी नीति पर अमल करनेकी शीघ्रता दिखायेगी?

२८-८-'५३ मगनभाअी देसाअी
(अंग्रेजीसे)

सर्वोदयका सिद्धान्त

संसारके सारे भागोंके लोग गांधीजीके जीवन और विचार-धारामें, खासकर जनवरी १९४८ में अुनके निर्वाणके बादसे, दिनोंदिन ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे गांधीवादी जीवन-पद्धतिके बारेमें ज्यादा-ज्यादा जानना चाहते हैं, जो बहुतसे लोगोंके विचारसे दुनियाकी आजकी संकटपूर्ण स्थितिसे बच निकलनेका अेकमात्र मार्ग है। जिसे सर्वोदय कहा जाता है, वह गांधीवादी जीवन-पद्धतिका केवल दूसरा नाम है। अिस छोटीसी पुस्तिकामें सर्वोदय आदर्शके मूलभूत सिद्धान्तोंके बारेमें गांधीजी और अुनके निकटके साथियों व सहयोगियोंके विचार दिये गये हैं।

कीमत ०-१२-० डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

www.vinoba.in

बेकारी कैसे मिटाओ जाय ?

पिछले कुछ दिनोंमें लोगोंका ध्यान बेकारीकी समस्या पर जितना गया है, अिस विषयकी जितनी चर्चा हुअी है, अुतनी किसी दूसरेकी नहीं। अिसका मुख्य कारण तो यह है कि शहरी क्षेत्रोंमें, और खासकर शिक्षित वर्गोंमें बेकारीकी वृद्धि हुअी है। लेकिन चूंकि हमारे यहां बेकारीके बारेमें कोअी गिनती नहीं हुअी, अिसलिअे पिछले सालोंमें बेकारीके परिमाणमें सचमुच कितनी वृद्धि हुअी है, यह नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि देशमें काम-धंधा पहलेसे ज्यादा हो और तब भी बेकार लोगोंकी संख्या बढ़ गयी हो। साथ ही यह भी खयाल रखना होगा कि पिछले तीस सालोंसे जनसंख्यामें जो मामूली वार्षिक वृद्धि होती रही है अुसके कारण काम चाहनेवालोंकी संख्या अवश्य पहलेसे ज्यादा बढ़ गयी होगी। अिन सब कारणोंसे काम-धंधेके विविध रास्ते आवश्यक अनुपातमें नहीं खुले हैं; खासकर जमीनसे संबंधित काममें यह वृद्धि बहुत कम हुअी है। अिसके सिवा, यंत्र-संचालित अुद्योगोंके बढ़नेसे धीरे-धीरे तत्सम्बंधी ग्राम-अुद्योग और गृह-अुद्योग खतम होते गये हैं। अिस प्रक्रियाके बढ़नेसे बेकारीकी वृद्धि, खासकर देहाती क्षेत्रोंमें अनिवार्य हो जाती है। पिछले महायुद्धके दरमियान, और कुछ समय तक अुसके बाद भी, शासन, व्यापार और अुत्पादनके अनेक नये-नये काम खोले जा रहे थे और राज्य अुनमें लोगोंको नौकरियां दे रहा था। पिछले सालोंमें अुत्पादनका काम तो बढ़ा है, लेकिन राज्यके द्वारा दी जानेवाली दूसरे या तीसरे दर्जेकी नौकरियोंमें लोगोंके लिये जानेकी गतिमें बहुत कमी आ गयी है। राज्यके द्वारा जो अुत्पादक अुद्योग चलाये जा रहे हैं, अुनमें काम-धंधा चाहनेवालोंकी संख्याका बहुत थोड़ासा ही हिस्सा समा सकता है। सरकारी निर्माण-कार्यमें — सड़कों, अिमारतों आदिमें — अकुशल मजदूरोंको अवश्य कुछ काम मिल जाता है, लेकिन कुशल कारीगरों या शिक्षित लोगोंको काफी संख्यामें काम दे सकना अशक्य हो गया है।

२. यह बात देखनेमें कुछ परस्पर-विरोधी मालूम होती है कि जब अेक ओर हमारे आर्थिक जीवनके कअी क्षेत्रोंमें विकासका काम चल रहा है, तब काम-धंधा बढ़नेके बजाय कम हो। लेकिन अभी अिस प्रश्नका निर्णय करना तो रह ही गया कि काम-धंधा क्या सचमुच कम हुआ है। हमारे पास अिसका कोअी निर्णायक प्रमाण नहीं है कि देशमें कुल मिलाकर काम-धंधेके परिमाणमें कमी हुअी है। लेकिन यह बात याद रखना जरूरी है कि ज्यों-ज्यों यंत्र-विज्ञान बढ़ता है, और अुसका अुपयोग ज्यादा किया जाता है, त्यों-त्यों अुन अुद्योगोंमें मजदूरोंकी आवश्यकतामें कमी आती जाती है और अुन्हें निकालना पड़ता है, जिससे बेकारीके परिमाणमें वृद्धि होती है। यह वृद्धि तभी रुक सकती है जब कि यंत्र-अुद्योगोंमें मजदूर जिस प्रमाणमें कम किये जा रहे हों, अुसी प्रमाणमें अुन्हें प्राथमिक क्षेत्र (प्रायमरी सेक्टर) में अतिरिक्त काम-धंधा मुहय्या किया जाय।

३. बेकारीको हल करनेके लिअे योजना-कमीशनने अेक व्यापक ११ सूत्री कार्यक्रम बनाया है, और अिसमें सन्देह नहीं कि अुससे बेकारी कम करनेमें मदद मिलेगी। अिस कार्यक्रममें अेक अुपाय यह सुझाया गया है कि अुत्पादन बढ़ाया जाय और बिजलीके अुपयोगका विस्तार किया जाय। लेकिन बिजलीके विस्तारसे काम-धंधा किस तरह बढ़ेगा, यह बात स्पष्ट नहीं है। अुदाहरणके लिअे, अगर बिजलीसे चलनेवाली आटा पीसने और चावल कूटनेकी मिलें खड़ी की जायं, और हाथ-चक्की तथा हाथ-कुटाअीका धंधा नष्ट हो जाय, तो काम-धंधा बढ़नेके बजाय कम ही होगा। छोटे पैमाने पर चलनेवाले अुद्योगोंके विस्तारके विषयमें भी यही नतीजा आयगा। छोटे पैमाने पर चलनेवाले कुछ अुद्योग तेल-मिलों और बिजलीसे चलनेवाले करघोंकी किस्मके हैं और कुछ अैसे हैं, जो अैसा माल तैयार करते हैं, जो गृह-अुद्योगोंके कारीगर नहीं बनाते। छोटे पैमाने पर चलनेवाले अुद्योगोंके जरिये अगर आज जो माल विदेशसे आता है अुसका अुत्पादन किया जाय, तो अतिरिक्त काम-धंधा पैदा करनेकी दिशामें कुछ लाभ हो सकता है। अेक दूसरा अुपाय यह सुझाया गया है कि माल और यात्रियोंको लाने-ले जानेके काममें मोटरोंका अुपयोग बढ़ाया जाय। अगर मोटर-ट्रक छोटी-छोटी दूरियों पर भी चलने लगें, तो बैलगाड़ियोंके लिअे कोअी स्थान न रह जायगा। जाहिर है कि अिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थामें बड़ी गड़बड़ पैदा होगी और देहातोंमें गाड़ीवान, बढ़अी, लुहार आदिको जो कामधन्धा आज मिलता है, अुसमें कमी आ जायगी तथा शहरोंमें अुससे जो नया काम-धंधा पैदा होगा, वह परिमाणमें अुसकी बराबरीका नहीं होगा। अिस तरह अिन सुझाये गये अुपायोंकी अुपयोगिता मर्यादित है।

४. यह बहुत आश्चर्यकी बात है कि भारतमें भी समाजके कुछ अैसे वर्ग हैं, जो कोरिया-युद्धके अन्त पर पूरे-पूरे खुश नहीं हुअे। अुन्हें डर है कि अिससे आन्तरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियोंमें अैसा फर्क आ सकता है, जो लोगोंको काम देनेके विषयमें हमारी आजकी कठिन स्थितिको और अधिक कठिन बना देगा। लेकिन हमारे देहातोंमें बेकारी और अर्ध-बेकारी अितनी अधिक है कि अुसे देखते हुअे कोरिया-युद्धकी समाप्तिका हमारी बेकारीकी स्थिति पर शायद ही कोअी असर होगा। अिसके सिवा, शान्तिकालमें अनुत्पादक किस्मके सरकारी खर्चमें कमी होती है, जिससे समाज-कल्याण और अुपयोगी अुत्पादनकी दिशामें ज्यादा कार्य होनेकी संभावना बढ़ती है। अिसलिअे शान्तिका तो हमेशा स्वागत ही होना चाहिये, भले वह हमारी सीमाओं पर हो या दूरके देशोंमें।

५. कभी-कभी लोग यह शंका भी अुठाते हैं कि आन्तर-राष्ट्रीय व्यापारके विषयमें राज्य समय-समय पर जिन नीतियोंका पालन करता है, अुनसे हमारे यहां नये काम-धंधे पैदा होनेकी प्रक्रिया पर बुरा असर तो नहीं पड़ता। राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना होनेके बादसे हमारी आयात और निर्यातकी नीतिके निर्धारणमें अिस बातका खयाल तो अवश्य रखा जाता है कि अुससे देशके अुत्पादक कार्योंको प्रोत्साहन मिले। यह हो सकता है कि कभी-कभी, खास कारणोंसे, अस्थायी तौर पर अैसा कोअी कदम अुठाया जाता हो जिसका विपरीत असर होता हो। लेकिन कुल मिलाकर यही कहना होगा कि काम-धंधेकी स्थितिको हानि पहुंचे अैसे निर्णय नहीं लिये जा सकते।

६. बेकारीके निराकरणके लिअे जिन अुपायोंका अवलम्बन करना चाहिये, अुनमें मुख्य तो वे ही हैं, जिनका अुल्लेख योजना-कमीशनकी रिपोर्टके ३९ वें अध्यायमें हुआ है। बादमें कमीशनने अपने हाल ही में बताये हुअे ११ सूत्री कार्यक्रमके जरिये अुसमें कुछ सुधार और बढ़ती की है। संक्षेपमें जिन अुपायोंसे देहाती बेकारीका बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है, और साथ ही जनताके काफी बड़े भागका जीवन-मान भी बढ़ाया जा सकता है, वे अिस प्रकार हैं — जमीनकी अुन्नति, नयी जमीन तैयार करना, जमीनके अुपजाअूपनकी रक्षा, सिंचाअीकी व्यवस्थाका विस्तार, गहरी खेती (अिन्टेन्सिव कल्टीव्हेशन) सूखी खेतीका प्रचार, मिश्र खेती (मिक्स्ड फार्मिंग), किसानोंके लिअे सहायक अुद्योग चलाना और अन्य ग्राम-अुद्योगों तथा गृह-अुद्योगोंका विकास। अिन सब अुपायोंमें गृह-अुद्योगोंके विकास और विस्तारको काम-धंधेके प्रमाणमें निकट भविष्यमें ही बढ़ती करनेकी दृष्टिसे सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। अिन सब अुपायोंका सम्मिलित परिणाम

www.vinoba.in

यह होगा कि शहरोंमें बेकारीका बढ़ना रुकेगा, क्योंकि गांव छोड़कर शहरोंमें जानेकी आज जो प्रक्रिया चल रही है, और जो शहरोंमें काम-धंधेकी बढ़ी हुअी मांगका मुख्य कारण है, वह अिससे बंद होने लगेगी।

(अंग्रेजीसे) वैकुण्ठ ल० मेहता

भाव बनाम समृद्धि

[बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके अिंजीनियरींग कॉलेजके प्रो० अेम० आर० अग्रवालने 'स्वदेशीका अर्थशास्त्र' विषय पर अेक सुन्दर निबंध मेरे पास भेजा है। अुनका केन्द्रीय विचार यह है कि 'चीजोंके भाव भ्रामक होते हैं।' अेक नये शीर्षकके नीचे अुनकी दलीलोंका सार मैं अुन्हींके शब्दोंमें यहां देता हूं।

१०-८-'५३ — म० प्र०]

आज दुनिया अैसी गंभीर आर्थिक गड़बड़ीका सामना कर रही है, जिसका दूसरा अुदाहरण मानव-अितिहासमें नहीं मिलता। अिसके कारण दुनियाके लोगोंको बहुत बड़े पैमाने पर कष्ट और यातनायें भोगनी पड़ती हैं।

कुछ देशोंने नहरें बनाने, सड़कें तैयार करने और दूसरे जन-कल्याणके कामों पर कृत्रिम खर्च करके आजके आर्थिक कष्ट कम करनेका प्रयत्न किया है। लेकिन यह कबूल करना होगा कि अैसे अुपाय कुछ समयके ही हो सकते हैं और किसी राष्ट्रका आर्थिक संकट और कष्ट सड़कें, नहरें और पुल बनाकर या बेकारोंको 'डोल' (निर्वाह-खर्च) देकर दूर नहीं किये जा सकते। हमें यह भी समझना चाहिये कि ३० करोड़ लोगोंकी गरीबी सरकारकी मददसे या लोगोंसे अेकत्र किये हुअे कोशसे राहत-काम खोलकर नहीं मिटाअी जा सकती।

स्वदेशी अेक केन्द्रीय चीज है, जिसके आसपास हमारी सारी आर्थिक समस्यायें घूमती हैं। आज हम सब जिस भयंकर गरीबीके शिकार हो गये हैं, अुससे स्वदेशीके मजबूत हथियारसे ही लड़ा जा सकता है। अिसलिअे हमें स्वदेशीके आर्थिक पहलूका और स्वदेशीका अमल करनेवालोंको अुससे होनेवाले लाभोंका गहरा अध्ययन करना चाहिये।

आजके अिस मशीन-युगमें स्वदेशीकी प्रगतिमें रुकावट डालनेवाली सबसे बड़ी बाधा है भावोंका प्रश्न। भूतकालका अध्ययन करनेवाला हर व्यक्ति अिस बातको स्वीकार करता है कि १८ वीं सदीमें जब अीस्ट अिंडिया कंपनी यहां आअी, तब हमारा देश दुनियाके सबसे ज्यादा धनी देशोंमें से अेक था। यह देख कर आश्चर्य होता है कि वही देश आज अितना गरीब हो गया है कि अुसे अपनी प्रजाको भुखमरीसे बचानेके लिअे विदेशोंसे अन्नकी भीख मांगनी पड़ती है। हम बड़े लम्बे समयसे सस्ता विदेशी माल खरीदते आये हैं और हर बार जब हम अपने देशकी बनी महंगी चीजके बदलेमें कोअी सस्ती विदेशी चीज खरीदते हैं, तब यह समझते हैं कि अैसा करके हम कुछ पैसा बचाते हैं। अिस तरह १०० सालसे भी ज्यादा समयमें हमने जो पैसा बचाया, अुसके फलस्वरूप देशके हर आदमीको ज्यादा धनी बनना चाहिये था। लेकिन हम जानते हैं कि अैसा नहीं हुआ। अिसके बजाय हमने अपना सब कुछ खो दिया है। अिसलिअे हम अिस बातकी सावधानीसे जांच करें कि अितने लंबे अरसे तक सस्ता माल खरीदनेके बावजूद हम ज्यादा धनी क्यों न बने। अिसका कारण यह हो सकता है कि अूपरसे सस्ती दिखाअी देनेवाली चीजें दरअसल सस्ती नहीं होतीं।

हम सब जानते हैं कि पैसा खर्च करनेसे हमें चीजें मिलती हैं और जिससे हम वे चीजें खरीदते हैं, अुसे क्रय-शक्ति प्राप्त होती है। जब हम कोअी चीज खरीदते हैं, अुस वक्त हम पैसा खर्च करनेके पहले पहलू पर ही अपना सारा ध्यान अेकाग्र करते हैं, लेकिन सौदेके दूसरे महत्त्वके पहलू पर बिलकुल ध्यान नहीं देते। जो पैसा हम खर्च करते हैं, वह तुरन्त क्रय-शक्ति बन जाना चाहिये, ताकि वह आमदके रूपमें हमारे पास वापिस आ जाय। धनी अुत्पादकोंसे सस्ती चीजें खरीदकर हम अैसे लोगोंको पैसा देते हैं, जो लम्बे समय तक क्रय-शक्तिके रूपमें अुसे खर्च नहीं करते। हमारा खर्च किया हुआ पैसा जितने ज्यादा प्रमाणमें बंटेगा, अुतने ही ज्यादा ग्राहक हमें मिलेंगे; क्योंकि वे अन्न, कपड़ा और दूसरी चीजें खरीदनेमें यह पैसा खर्च करेंगे।

अुत्पादक जितना ज्यादा जरूरतमंद होगा, अुतना ही वह ज्यादा अच्छा ग्राहक बनेगा। क्योंकि वह अपने मालके बदलेमें पाया हुआ पैसा तुरन्त खर्च कर देगा। गरीब आदमी अुत्तम ग्राहक हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक पैसेको रोकनेमें असमर्थ होते हैं। धनी आदमी, जिसके पास किसी चीजकी कमी नहीं होती, मिले हुअे पैसेको अेकदम खर्च नहीं करता; क्योंकि वह पैसा कमाकर अुसे अिकट्ठा कर सकता है। अगर हम किसी धनी आदमीसे १०० रुपयेकी चीजें खरीदते हैं, तो हमें अेक भी ग्राहक नहीं मिलता। क्योंकि अुसका पैसा सीधा तिजोरीमें चला जाता है। अगर वही खर्च किया हुआ पैसा ५० गरीब आदमियोंके हाथमें जाता है, तो हमें अुतने ही अच्छे ग्राहक मिलते हैं; क्योंकि वे तुरन्त वह पैसा खर्च कर देंगे और अुतनी ही तेजीसे हमें मुनाफा भी होगा।

मान लीजिये कि अेक छोटे शहरमें, जो अपनी जरूरतकी सारी चीजें पैदा कर लेता है, क, ख, ग और घ नामके चार व्यापारी हैं, जो गेहूं, शक्कर, कपास वगैरा बेचते हैं। अिन सबके शहरमें फैले हुअे लगभग अुतने ही ग्राहक हैं और सबको लगभग अेक-सी आमदनी होती है। मान लीजिये अिनमें से हरअेक रु० २५० का कपड़ा खरीदना चाहता है — यानी चारों मिलकर कुल रु० १००० का कपड़ा खरीदना चाहते हैं। तो वे:

१. रु० ९०० का विदेशी कपड़ा खरीद सकते हैं;

२. रु० ९२५ का भारतीय मिलोंका कपड़ा खरीद सकते हैं;

३. रु० १००० का स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाया हुआ कपड़ा खरीद सकते हैं।

अब हम सावधानीसे अिस बातकी जांच करें कि कौनसा कपड़ा अुनके लिअे सबसे सस्ता है और कौनसा कपड़ा खरीदनेसे अुन्हें फायदा होता है। अूपरसे देखने पर तो विदेशी कपड़ेका ही नंबर पहला आता है, क्योंकि वह सबसे सस्ता मालूम होता है। लेकिन अिस चीजकी हमें ज्यादा गहराअीसे जांच करनी होगी।

१. विदेशी कपड़े पर खर्च किया हुआ सारा पैसा देशसे बाहर जाकर विदेशी मिल-मालिकोंकी जेबमें जायगा। अिसका अेक हिस्सा हमारी रेलोंको मिलेगा, लेकिन अुस पैसेको वे विदेशोंसे अपने अुपयोगके लिअे यंत्र और दूसरी आवश्यक साधन-सामग्री मंगानेमें खर्च कर देंगी। अिन ९०० रुपयोंमें से अेक पाअी भी गांवके ग्राहकोंको नहीं मिलेगी। अिसलिअे अिस तरह खर्च की हुअी अिस रकमका थोड़ा हिस्सा भी वापिस क, ख, ग और घ को नहीं मिलेगा।

२. भारतीय मिलोंके कपड़ेकी कीमत रु० ९२५ होगी। अिस रकमका बहुत बड़ा हिस्सा नफेके रूपमें मिलोंके मालिकों और डायरेक्टरोंको मिलेगा। अुसका बहुत थोड़ा हिस्सा भारतीय बीमा कंपनियोंके पास जा सकता है। अुसी तरह अुसका अेक हिस्सा विदेशियोंकी जेबमें जायगा, जो मशीनें, तेल, अींधन वगैरा मुहय्या करते हैं। और बहुत थोड़ा हिस्सा मजदूरोंकी जेबमें जायगा, जो अपनी कमाअीका बड़ा हिस्सा शराब और दूसरी नशीली चीजों पर खर्च कर डालेंगे। अिस तरह मिलोंका कपड़ा खरीदनेमें खर्च

www.vinoba.in

किये हुअे रु० ९२५ का बहुत ही थोड़ा हिस्सा लम्बे अरसेके बाद वापिस क, ख, ग और घ के पास पहुंच सकता है। भारतीय मिल-मालिकोंकी तिजोरियोंमें सुरक्षित पड़ा हुआ पैसा क, ख, ग और घके लिअे कोअी महत्त्व और कीमत नहीं रखता, जब तक कि वह भारतकी बनी हुअी चीजें खरीदनेमें खर्च नहीं किया जाता।

३. स्थानीय बुनकरोंसे कपड़ा खरीदनेमें रु० १००० खर्च होंगे। यह सारा पैसा स्थानीय बुनकरोंको मिलेगा, जो कपास, गेहूं, चावल, शक्कर वगैरा खरीदेंगे। अिस तरह कत्तिनों, पींजनेवालों, धोबियों वगैराको जो पैसा मिलेगा, वह जल्दी ही चावल, गेहूं और दूसरी जरूरतकी चीजों पर खर्च कर दिया जायगा। अिस प्रकार लगभग रु० १००० की पूरी रकम अुन चार व्यापारियोंको वापिस मिल जायगी और वे दोअन्नी रुपया नफा कमाकर कुल रु० १२५ की खालिस आमदनी करेंगे। दूसरे शब्दोंमें, अुन्हें रु० १००० का कपड़ा रु० ८७५ में ही मिल जायगा।

यह सच है कि स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किये हुअे कपड़े पर १०० रुपये ज्यादा खर्च किये गये। लेकिन अुससे १२५ रुपयेकी आमदनी भी हुअी है, जो दूसरा कोअी कपड़ा खरीदनेमें नहीं हो सकती थी। वह माल सस्ता कैसे कहा जा सकता है, जो हमें १०० रुपयेकी बचत तो कराता है, लेकिन हमारी आमदनीमें से १२५ रुपये काट लेता है?

हम अेक दूसरी बड़े महत्त्वकी बात भी न भूलें। यहां हमने रु० १००० के केवल अेक ही दौरका विचार किया है, जिससे व्यापारियोंको रु० १२५ का नफा होता है। लेकिन यह पैसा गांवसे बाहर नहीं जाता और बार-बार अिन चार व्यापारियोंके पास आता है। अिस तरह ये व्यापारी स्थानीय बुनकरोंको रु० १०० में बेचे जानेवाले माल पर दरअसल रु० ८७५ की जो रकम खर्च करते हैं, वह अैसे दूसरे लोगोंके पास जाती है, जो खुद क, ख, ग और घ के ग्राहक हैं। जब ये लोग अिस रकमको खर्च करते हैं, तब ये व्यापारी अूपर बताअी हुअी दरके मुताबिक रु० १०९–६–० का नफा कमाते हैं। अगर यह प्रक्रिया अिसी ढंगसे आगे भी चालू रखी जाय, तो अन्तमें हम देखेंगे कि व्यापारियोंने स्थानीय कपड़ा खरीदनेमें जो रु० १००० खर्च किये हैं, वे सब नफेके रूपमें अुनके पास पहुंच चुके हैं और जो कपड़ा अुन्होंने खरीदा, वह अुन्हें दरअसल मुफ्तमें ही मिला है।

अिससे सिद्ध होता है कि विदेशी या भारतीय मिलका कपड़ा, जो अूपरसे सस्ता दीखता है, दरअसल स्थानीय कपड़ेसे कहीं ज्यादा महंगा होता है और स्थानीय कपड़ा वास्तवमें सबसे सस्ता होता है। कीमतमें अूपरसे दिखाअी देनेवाला यह फर्क भी आम तौर पर बहुत थोड़ा होता है।

अिस सब परसे हम अिस नतीजे पर पहुंचते हैं कि:

१. हर आदमीको अपने ही भलेके लिअे यानी अपनी ही आर्थिक अुन्नतिके लिअे स्वदेशीका पालन करना चाहिये।

२. आजका आर्थिक संकट अिसलिअे पैदा हुआ है कि पैसा मुट्ठीभर लोगोंके हाथमें चला गया है और दिनोंदिन कम और ज्यादा कम लोगोंके हाथमें अिकट्ठा हो रहा है।

३. कीमत सिर्फ अुस पैसे पर आधार नहीं रखती जो किसी चीजके लिअे दिया जाता है, बल्कि अिस बात पर भी आधार रखती है कि वह पैसा कब और कैसे चलनमें आता है। कीमत ज्यादातर अुस समय पर निर्भर करती है, जो खर्च किये हुअे पैसेको क्रय-शक्तिका रूप लेनेमें लगता है।

४. हमारी समृद्धि हमारे ग्राहकोंकी समृद्धि पर आधार रखती है। हमारे ग्राहकोंको मारकर और अुनकी समृद्धिको नष्ट करके हम खुद अपनी ही समृद्धिको मारते हैं।

५. पैसा विनिमयका अेक साधन है। हम पैसा अिकट्ठा करके विनिमयकी अिस प्रक्रियामें रुकावट न डालें।

६. पैसा धन या पूंजी नहीं है। पैसा जो माल या सेवायें खरीद सकता है, वही सच्चा धन और पूंजी है।

अगर भारतीय माल पर खर्च किया हुआ पैसा या अुसका अधिकांश करोड़पतियोंकी तिजोरियोंमें जाता है, तो वह माल स्वदेशी नहीं कहा जा सकता।

अगर हमारे देशके ज्यादातर लोग सच्ची स्वदेशी चीजें खरीदें, तो हम जल्दी ही देखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रताकी दिशामें हम बहुत आगे बढ़ गये हैं।

अगर दुनियाके अधिकांश लोग स्वदेशीका पालन करें, तो लड़ाअीके कारण तुरन्त लुप्त हो जायंगे और सारी दुनियामें सुख, शांति और समृद्धिका राज्य स्थापित हो जायगा।

(अंग्रेजीसे) अेम० आर० अग्रवाल

अेक नअी सामाजिक चिन्ता

अेक पाठकने बम्बअीसे निकलनेवाले 'पीपुल्स व्हाअिस' नामक पत्रके जुलाअी १९५३ के अंकमें 'शर्मनाक!' नामसे छपी अेक टिप्पणीकी तरफ मेरा ध्यान खींचा है। अुस टिप्पणीमें सेन्ट्रल रेलवे आफिसमें नौकरी करनेवाली महिलाओंके साथ वहांके पुरुष-अफसरोंके दुर्व्यवहारके अुदाहरण दिये गये हैं और अन्तमें कहा गया है:

> "जीवन-निर्वाहके निरन्तर बढ़नेवाले खर्चने मध्यमवर्गकी महिलाओंको घरसे बाहर नौकरी करके परिवारकी आमदनीमें वृद्धि करनेको मजबूर कर दिया है। कुछ सरकारी और खानगी आफिसोंमें काम करनेवाले भेड़ियोंको अपनी स्थितिका नाजायज फायदा अुठाकर महिला-क्लार्कोंके साथ दुर्व्यवहार करना छोड़ देना चाहिये। जो महिलायें हिम्मत करके पुरुषोंकी तरह परिवारकी जिम्मेदारियां पूरी करनेके लिअे आगे आअी हैं, अुन्हें थोड़ा साहस बताना चाहिये और अैसे सभ्य गुंडोंको अच्छा सबक सिखाना चाहिये। अिसमें अुन्हें हरअेक स्वाभिमानी नागरिकका, जो अपनी मां, बहन और बेटीकी अिज्जत करता है, सक्रिय समर्थन मिलेगा।"

यह चीज सचमुच शर्मनाक है। हमारी आजकी हालतोंने आक्रामक पुरुषोंको गलत रास्ते जानेका और ज्यादा मौका दे दिया है। अिस संबंधमें अेक दूसरी शिकायत अकसर यह सुनी जाती है कि आफिसके स्टाफमें महिलाओंके आ जानेसे काफी समय बरबाद होता है, काम कम और लापरवाही ज्यादा होने लगी है, हालांकि अैसा होना कोअी जरूरी नहीं है। जैसा कि अूपर दी गअी टिप्पणीमें कहा गया है, आफिसोंमें काम करनेवाली महिलाओंको साहसी बनकर अपनी अिज्जतकी रक्षा करनी चाहिये और बुरा व्यवहार करनेवालोंको सबक सिखाना चाहिये। लेकिन यह सवाल रह जाता है: क्या हमारी समाज-व्यवस्था अैसी हो, जिसमें हमारी स्त्रियोंके लिअे अपनी कुदरती जगह — घर — और परिवारकी देखभालको छोड़कर कुटुम्बकी आमदनी बढ़ानेके लिअे नौकरी करना जरूरी हो जाय? क्या हम अैसे घरेलू अुद्योग और दस्तकारियां नहीं चला सकते, जो न केवल परिवारकी आमदनी ही बढ़ायेंगे, बल्कि अुसके आनन्दको भी बढ़ायेंगे। वे बच्चोंके ज्यादा अच्छे पालन-पोषणमें और अुनके प्रारंभिक शिक्षणकी तरफ ज्यादा ध्यान देनेमें मदद करेंगे — और यह काम तो घरकी मातायें ही अुत्तम रूपमें कर सकती हैं।

३०-७-'५३ म० प्र०
(अंग्रेजीसे)

www.vinoba.in

जमीनका बंटवारा कैसे होता है?

[अुत्तर प्रदेश भूदान-समितिके संयोजक श्री अक्षयकुमार करणने अपने अिस लेखमें भूदान-यज्ञमें प्राप्त हुअी जमीनका बंटवारा किस प्रकार किया जाता है अिसकी जानकारी दी है। –सं०]

अकसर यह सवाल पूछा जाता है कि भूदान-यज्ञमें मिली हुअी जमीनका बंटवारा किस तरह किया जाता है। अिसी तरह भूमि-वितरणके बारेमें और भी अनेक शंकायें अुठाअी जाती हैं। कुछ लोग यह डर भी प्रकट करते हैं कि जिन्हें सचमुच जमीनकी जरूरत है, अैसे सच्चे बेजमीन क्या हमें मिल पाते हैं? अुनके कहनेका मतलब यह है कि देहातोंमें अितने लड़ाअी-झगड़े चलते हैं कि वहां सच्ची जरूरतवाले बेजमीनको जमीन दिलानेकी कोशिश कौन करेगा? अिसलिअे अिस बातका क्या भरोसा कि बांटी जानेवाली जमीन केवल बेजमीनोंको ही मिलेगी? और यह मान भी लें कि अुसे जमीन मिल गअी, लेकिन अगर खेतीके जरूरी साधन अुसके पास न हुअे तो वह जमीन लेकर क्या करेगा? अिस प्रकारकी शंकायें पैदा होना स्वाभाविक है और अिसीलिअे अुनका निराकरण भी जरूरी है। विनोबाजीने तो समय-समय पर अिन शंकाओंके बारेमें स्पष्टीकरण किया ही है। हमारी अुत्तर प्रदेश भूदान-समितिने भी अिसके बारेमें विचार-विनिमय किया है।

१. जिस गांवमें जमीनका बंटवारा करना होता है, अुस गांवमें जमीन बांटनेके कार्यक्रमकी तारीख पहले ही निश्चित कर ली जाती है और अिस बातकी सूचना सात दिन पहले अुस गांवके और आसपासके गांवोंके लोगोंको मुनादी द्वारा कर दी जाती है। व्यक्तिगत रूपमें मिलजुलकर भी अिसके बारेमें कहा जाता है। अिसके सिवा, निश्चित तारीखके अेक दिन पहले फिर अेक बार सब लोगोंको सूचना दे दी जाती है।

२. अिन सात दिनोंमें बंटवारेका काम करनेवाले कार्यकर्ता दानमें मिली हुअी जमीनका और अुसके अुपजाअूपनका निरीक्षण करते हैं और अेक किसान-परिवारके निर्वाहके लिअे कमसे कम कितनी जमीन आवश्यक है अिसका परिमाण तय करते हैं। जमीनका निरीक्षण करते समय ग्राम-पंचायतके अध्यक्ष और सरकारी पटवारीको भी साथ ले जानेकी कोशिश की जाती है।

३. जमीन बांटनेकी तारीख और स्थानकी सूचना जिलाधिकारी तथा दूसरे संबंधित विभागोंके अधिकारियोंको दे दी जाती है। अिसके पीछे अपेक्षा यह होती है कि अुस अवसर पर स्वयं जिलाधिकारी या अुसका कोअी प्रतिनिधि और पटवारी अुपस्थित रहे।

४. बंटवारेके दिन जिस गांवमें वह कार्यक्रम होता है, अुस गांवके सारे लोग अिकट्ठा होते हैं। दान देनेवाले भी हाजिर रहते हैं। अुन सबको भूदानके पीछे रही हुअी विचारधारा और जमीनके बंटवारेकी पद्धति व नीति साफ-साफ शब्दोंमें समझाअी जाती है। बादमें अेकत्रित हुअे लोगोंमें से जो बेजमीन होते हैं अुन्हें खड़ा होनेके लिअे कहा जाता है। कुछ बेजमीन खड़े होते हैं, तो कुछ संकोचके कारण अपने बेजमीन होनेकी बात नहीं बतलाते। अतः फिर दुबारा कहा जाता है और तब सारे बेजमीन खड़े हो जाते हैं। सब लोग गांवके ही होते हैं, अिसलिअे खड़े होनेवाले सचमुच बेजमीन हैं या नहीं, यह गांवके दूसरे लोग जान सकते हैं। अिसके सिवा, महसूल-विभागका पटवारी वहां हाजिर ही रहता है, अिसलिअे असली जरूरतवाला बेजमीन कौन है यह समझनेमें कोअी मुश्किल नहीं होती।

५. बेजमीनोंके तीन वर्ग किये जा सकते हैं: (अ) खेती कर सकनेवाले, खेतीके अभावमें जीवन-निर्वाहके दूसरे साधन नहीं होनेके कारण फिलहाल दूसरेकी जमीन पर मेहनत करनेवाले खेत-मजदूर; (आ) जीवन-निर्वाहके दूसरे साधन होने पर भी अुनके अत्यन्त साधारण होनेके कारण जिनके परिवारका गुजर-बसर अुनसे नहीं होता अैसे खेती जानने और कर सकनेवाले अन्य व्यावसायिक किसान; (अि) केवल जमीन पर ही निर्वाह करनेवाले, लेकिन बहुत कम जमीनवाले गरीब किसान।

६. हमारे पास बांटनेके लिअे जो जमीन होती है, अुसमें से प्रथम पहले वर्गके बेजमीनोंको दी जाती है और शेष तीसरे वर्गके लोगोंको।

७. लेकिन अेकाध गांवमें अैसी भी परिस्थिति होती है कि पहले वर्गके बेजमीन अधिक होते हैं और बांटनेके लिअे जमीन कम। तब यह सवाल खड़ा होता है कि जमीन किस तरह बांटी जाय। अैसी परिस्थितिमें अिस बातका निर्णय करनेकी जिम्मेदारी बेजमीनों पर ही डाल दी जाती है। अुन्हें यह बात भी कह दी जाती है कि अुनमें से पहले किसे जमीन दी जाय, यह अुन्हें खुदको ही तय करना है। यदि यह काम अुनसे नहीं बनता, तो चिट्ठियां डाली जाती हैं और जिसका नाम आता है अुसे जमीन दी जाती है। अैसी स्थितिमें बंटवारा करनेवाला हमारा कार्यकर्ता खुद अन्तिम फैसला नहीं करता; वह केवल साक्षीके रूपमें ही काम करता है। चिट्ठियां डालनेके बाद यह निर्णय हो जाने पर कि किसे जमीन दी जाय, अुस बेजमीनसे जमीन मांगनेकी अेक छपी हुअी अर्जी पर दस्तखत लिये जाते हैं और अुसे जमीन देते हुअे जमीन दिये जानेका अेक प्रमाणपत्र दिया जाता है। अिस प्रमाणपत्र पर भूदान-समितिके प्रतिनिधि, जिलाधिकारीके प्रतिनिधि (पटवारी) और ग्रामपंचायतके अध्यक्षके दस्तखत होते हैं। बेजमीनको अैसा प्रमाणपत्र व्यवस्थित रूपमें मिले, अिस बातकी सावधानी रखना भूमि-वितरणका काम करनेवाले कार्यकर्ताओंका कर्तव्य समझा जाता है।

८. यह सब कार्रवाअी विना किसी तरहकी फीस लिये की जाती है। बेजमीनको कभी किसी तरहका खर्च नहीं करना पड़ता।

९. मिली हुअी जमीन कमसे कम दस वर्ष तक बेजमीनको खुद ही जोतना चाहिये और दान लेनेके दिनसे तीन वर्षके अन्दर अुस पर जुताअी शुरू हो जानी चाहिये। नहीं तो वह किसी दूसरे योग्य बेजमीनको दे दी जायगी।

१०. परिवारके हर व्यक्तिके पीछे अेक बीघेके हिसाबसे जमीन देनेकी कोशिश रहती है।

हमारे प्रांतमें जमीन बांटनेकी यह पद्धति है। हमारे कार्यकर्ता अूपरकी सूचनाओंके मुताबिक काम करते हैं और कोअी नअी समस्या आने पर अुसे स्थानीय परिस्थितिके अनुसार हल करते हैं।

(मराठी 'भूदान-यज्ञ' से)

विषय-सूची

		पृष्ठ
विधायक दृष्टि	जवाहरलाल नेहरू	२१७
शांतिमय क्रान्तिकी चाबी	विनोबा	२१७
संविधानकी ४७ वीं धारा	फूलसिंहजी डाभी	२१८
भारतसे बन्दरोंका निर्यात	सोराबजी आर० मिस्त्री	२१९
साबुनमें नीमके तेलका अुपयोग		२१९
ग्रामोद्योग और केन्द्रीय सरकार	मगनभाअी देसाअी	२२०
बेकारी कैसे मिटाअी जाय?	वैकुण्ठ ल० मेहता	२२१
भाव बनाम समृद्धि	अेम० आर० अग्रवाल	२२२
जमीनका बंटवारा कैसे होता है?	अक्षयकुमार करण	२२४
टिप्पणी:		
अेक नअी सामाजिक चिन्ता	म० प्र०	२२३

www.vinoba.in